

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक:- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे-III/ 7205-7262

दिनांक:- 25/8/2011

आदेश संख्या96...../2011-12

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट- I/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) वेतन श्रृंखला पी0बी0-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वेक्षी	बैच नं	कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	रमेश कुमार व्यास	4/90	06-08-1993	06-08-2011	
2.	हरिमोहन गुप्ता	8/90	21-08-1993	21-08-2011	
3.	लूणकरण चौहान	13/90	03-08-1993	03-08-2011	
4.	विनोद कुमार शर्मा	14/90	26-07-1993	26-07-2011	
5.	भगवानी रामदुषाद	17/90	29-07-1993 AN	30-07-2011	
6.	सुभाष चन्द अग्रवाल	25/90	04-08-1993	04-08-2011	
7.	राजा बाबू विजय	34/90	20-08-1993	20-08-2011	
8.	शिव दत्त व्यास	42/90	30-07-1993	30-07-2011	
9.	जगदीश प्रसाद	45/90	13-08-1993	13-08-2011	
10.	मुरारी लाल प्रजापति	46/90	26-07-1993	26-07-2011	
11.	मोहम्मद फारूक	47/90	30-07-1993	30-07-2011	
12.	भागीरथ सिंह	48/90	20-08-1993	20-08-2011	
13.	अजीत कुमार जैन	72/90	04-08-1993	04-08-2011	
14.	मुकेश कुमार	75/90	21-06-1993	21-06-2011	
15.	श्रीमती इन्द्रा काबरा	79/90	20-08-1993	20-08-2011	
16.	सन्तोष कुमार गुप्ता	83/90	06-08-1993	06-08-2011	
17.	रमाकान्त सरोलिया	86/90	26-07-1993	26-07-2011	
18.	प्रभाती लाल ताम्बी	95/90	21-06-1993	21-06-2011	
19.	करण सिंह राजपूत	106/90	12-08-1993	12-08-2011	
20.	सुशील कुमार गुप्ता	125/90	26-07-1993	26-07-2011	
21.	विनोद कुमार शर्मा	127/90	21-08-1993	21-08-2011	
22.	पवन कुमार शर्मा	134/90	31-07-1993	31-07-2011	
23.	सौवर मल	140/90	29-07-1993	29-07-2011	
24.	विष्णु दत्त शर्मा	152/90	21-06-1993	21-06-2011	
25.	भवानी शंकर सिद्ध	153/90	26-07-1993	26-07-2011	
26.	गणेश राम सैनी	183/90	05-08-1993	05-08-2011	

लगातार

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (89) वित्त/नियम /2008 दिनांक 31-12-2009 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23 एवं 26 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के मेमोरण्डम दिनांक 07-08-2011 के अनुसरण में उतने ही पिछले वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।

निदेशक

क्रमांक:- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे-III/ 7205-7262
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:- 25/8/2011

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
3. निजी सहायक निदेशक, महोदय।
4. गोपनीय शाखा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. कम्प्यूटर (वेबसाइट हेतु) शाखा।
6. निजी/गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)